भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न० संख्या68*

जिसका उत्त्र 03दिसम्बीर2015 को दिया जाना है

प्रशुल्कआधारितप्रतिस्पर्धात्मकबोली

***68.डॉ॰उदितराजः**

क्या6**कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यासरकारकाविचारकोयलालिंकेजों की नीलामी के लिए प्रशुल्कआधारितप्रतिस्पर्धात्मकबोली की शुरुआतकरनेकाहैऔर यदिहां, तोतत्संबंधीब्यौराक्याहै;

(ख) क्याइसप्रयोजन के लिए किसीअंतर–मंत्रालयीसमिति (आईएमसी) कागठनकियागयाहै;

(ग) यदिहां, तोइससमिति के विचारार्थविषय कौन–कौनसेहैं;

(घ) क्याअंतर–मंत्रालयीसमिति ने अपनीसिफारिशेंसौंपदीहैं, यदिहां, तोतत्संबंधीब्यौराक्याहै; और

(ङ) इनपरक्याअनुवर्तीकार्रवाईकीगईहै?

उत्तbर

कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्यk मंत्री (स्वSतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

डॉ. उदित राज द्वारा दिनांक 03.12.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्नर सं. 68 के भाग (क) से (ड.) के उत्तपर में उल्लि)खित विवरण।

(क) तथा (ख) : चयन प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्पार्धी बोली के माध्यरम से कोयला लिंकेज/एलओए की नीलामी सहित विभिन्नय मॉडलों पर विचार करने तथासभी स्टेपकधारियों की आवश्य)कताओं को पूरा करने हेतु उपयुक्तन ढांचे की सिफारिश करने के लिए कोयला मंत्रालय में 12.01.2015 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया था।

(ग) : आईएमसी के विचारार्थ विषय थे कोयला लिंकेजों/एलओए की नीलामी हेतु प्रतिस्पसर्धी बोली लागू करने के लिए विभिन्ना ढांचे एवं मॉडलों पर विचार एवं जांच करना तथा उपयुक्तप ढांचे की सिफारिश करना जो सभी स्ट्रेकधारियों की आवश्यंकताओं को पूरा करें।

(घ) तथा (ड.) : गठन के पश्चांत आईएमसी की सात बैठकें हो चुकी है। दिनांक 4.6.2015 को हुई आईएमसी की 5वीं बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि सर्व प्रथम गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए लिंकेजों की नीलामी की जानी चाहिए। तदनुसार , 4.6.2015 को एक दृष्टिहकोण पत्र तैयार किया गया था और सार्वजनिक परामर्श हेतु वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। जनता एवं संबंधित स्टेाकधारियों से गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए लिंकेजों की नीलामी हेतु मसौदा नीलामी प्रणाली पर अपनी टिप्पिणी/विचार प्रस्तुतत करने का अनुरोध किया गया था। जनता एवं स्टेपकधारियों की टिप्पसणियां प्राप्तत हुई थीं। इसके अलावास्टेकधारी उद्योग संघों ने भी 21.8.2015 को हुई आईएमसी की छठी बैठक में अपने विचार एवं टिप्पयणी दिए थे। इस मामले में अंतिम निर्णय अभी सरकार द्वारा लिया जाना है। विनियमित क्षेत्र को भविष्यय में लिंकेज / एलओए प्रदान करने हेतु प्रस्तावित प्रणाली के संबंध में 4.6.2015 को आईएमसी के सदस्यों को प्रारंभिक चर्चा पत्र परिचालित किया गया था। तथापि ,विनियमित क्षेत्र को टैरिफ आधारित प्रतिस्पंर्धी बोली के माध्य म से भविष्य, में लिंकेज/एलओए प्रदान करने की प्रणाली पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*****